न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 29/2023

उनवान

1. श्री भैरु लाल पुत्र श्री रूपा जाट नि0 वरसोलिया(भग्गा का खेडा) तह0 हमीरगढ।
2. श्रीमती ककू देवी पुत्री श्री रूपा जाट नि0 वरसोलिया तह0 हमीरगढ।
3. श्रीमती ककू देवी पत्नि श्री रतन लाल जाट नि0 काणोली।
4. श्रीमती तुलसी बाई पत्नि श्री लादु लाल जाट नि0 काणोली ।
5. श्रीमती प्रेम देवी पत्नि श्री रूपा जाट नि0 वरसोलिया तह. हमीरगढ।
6. श्रीमती पार्वती पत्नि श्री श्याम लाल जाट नि0 काणोली ।
7. श्रीमती पार्वती देवी पुत्री श्री रूपा जाट नि0 वरसोलिया तह. हमीरगढ।
8. श्री बालु पुत्र श्री हरलाल जाट नि0 वरसोलिया तह. हमीरगढ।
9. श्रीमती राधा देवी पुत्री रूपा जाट नि0 वरसोलिया तह. हमीरगढ।
10. श्रीमती रामकन्या देवी पुत्री रूपा जाट नि0 वरसोलिया तह. हमीरगढ।
11. श्रीमती श्यामु देवी पुत्री रूपा जाट नि0 वरसोलिया तह. हमीरगढ।
12. श्रीमती शान्ता देवी पुत्री रूपा जाट नि0 वरसोलिया तह. हमीरगढ।
13. श्रीमती रजना देवी पुत्री रूपा जाट नि0 वरसोलिया तह. हमीरगढ।
14. श्रीमती हरकू पत्नि रूपा जाट नि0 वरसोलिया तह. हमीरगढ।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री कालु पुत्र श्री रामेश्वर जाट नि0(भग्गा का खेडा) वरसोलिया तह हमीरगढ।
2. श्री उदय लाल पुत्र श्री देवा जाट नि0(भग्गा का खेडा) वरसोलिया तह हमीरगढ।
3. श्रीमती काली पत्नी श्री धन्ना जाट नि0(भग्गा का खेडा) वरसोलिया तह हमीरगढ।
4. श्री कन्हेया लाल पुत्र श्री गणेश जाट नि0(भग्गा का खेडा) वरसोलिया तह हमीरगढ।
5. श्री रामलाल पुत्र श्री किशन जाट नि0(भग्गा का खेडा) वरसोलिया तह हमीरगढ।
6. श्री देवा पुत्र श्री उदा जाट नि0(भग्गा का खेडा) वरसोलिया तह हमीरगढ।
7. श्री भेरू पुत्र श्री हीरा जाट नि0(भग्गा का खेडा) वरसोलिया तह हमीरगढ।
8. श्री रामेश्वर पुत्र श्री हजारी जाट नि0(भग्गा का खेडा) वरसोलिया तह हमीरगढ।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 16.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भॅू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 06.02.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम वरसोलिया प.ह. पीपली भू.अ.नि. मंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 115 की आ.न. 165 रकवा 0.2023है0, आ.न. 166 रकवा 0.0506है0, आ.न. 167 रकवा 0.0885है0, कुल किता 03 रकवा 0.3414है0 व खाता संख्या 65 में वर्णित आ.न. 115 रकवा 0.6575है0, आ.न. 133 रकवा 0.4299है0, कुल किता 02 रकवा 1.0874 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.02.2023 को पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 वावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बरसोलिया प.ह. पीपली भू.अ.नि. गंगरोप तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 115 की आ.न. 165 रकबा 0.2023है0, आ.न. 166 रकबा 0.0506है0, आ.न. 167 रकबा 0.0885है0, कुल किता 03 रकबा 0.3414है0 व खाता संख्या 65 में वर्णित आ.न. 115 रकबा 0.6575है0, आ.न. 133 रकबा 0.4299है0, कुल किता 02 रकबा 1.0874 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/—पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 16.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ